नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा द्वारा संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रम

लव-कुशनगर, मूंदीरोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001
Email: paramedicalgmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

क्रमांक / 7170 / पैरामेडिकल / नं.सि.चौ.शा.चि.म. / 2025 खण्डवा, दिनांक : **06.09.2025**

/ /पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रवेश संबंधी महत्वपूर्ण सूचना (मॉपअप चरण काउंसलिंग)/ /

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा द्वारा संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रकिया के प्रथम चरण हेतु दिनांक 01.09.2025 एवं दिनांक 02.09.2025 को प्रथम दिवस 31 एवं द्वितीय दिवस 31 इस प्रकार कुल 62 आवेदित अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु आमंत्रित किया गया था, जिसमें विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों (बी.एम.एल.टी.–20, ऑप्थलमिक असिस्टेंट–10 एवं ओ.टी.टेक्नीशियन 07) की कुल 37 सीटो पर प्रवेश प्रकिया के पश्चात (बी.एम.एल.टी.–03 अनुसूचित जनजाति ओपन, ऑप्थलमिक असिस्टेंट–02 अनुसूचित जनजाति 01 ओपन एवं 01 महिला) कुल 05 सीटे रिक्त थी।

उक्त अनुसूचित जनजाति की कुल 05 रिक्त सीटों हेतु द्वितीय चरण की काउंसलिंग दिनांक 04.09.2025 को एवं तृतीय चरण की काउंसलिंग 06.09.2025 को आयोजित की गई, उक्त प्रवेश प्रकिया में केवल अनुसूचित जनजाति के आवेदित आवेदको को ही प्रावीण्य सूची अनुसार समय सुबह 10:00 बजे से आमंत्रित किया गया, किन्तु उक्त दोनो दिवस की काउंसलिंग दिनांक 04.09.205 एवं 06.09.2025 में कोई भी आवेदक उपस्थित नही हुआ, जिससे अनुसूचित जनजाति की 05 सीटे यथावत रिक्त है।

उक्त 05 रिक्त सीट हेतु मॉपअप चरण की **काउंसलिग दिनांक 09 सितम्बर 2025 को आयोजित की जाना है,** जिसमें मेरिट क्रमांक 01 से 62 तक के समस्त अभ्यर्थी जिन्हे प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण की काउंसलिंग मे कोई सीट आवंटित नही हुई, को आमंत्रित किया जाता है। काउंसलिग हेतु अभ्यर्थियों को समय सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक उपस्थित होकर रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) करवाना अनिवार्य है। निर्धारित समय दोपहर 12:00 बजे के पश्चात उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियो का रजिस्ट्रेशन नही होगा एव उनकी काउंसलिंग पर कोई विचार नही किया जावेगा।

मॉपअप चरण की काउंसलिग में प्रवेश मध्यपद्रेश राजपत्र असाधारण भोपाल (MP Paramedical Council Gazette Notification New Rules) प्रकाशित 08 अक्टूबर 2021 **"संस्थान द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियमानुसार आयोजित तृतीय काउंसलिंग के बाद भी आरक्षित सीटें रिक्त रहनें की दशा में, संस्थान प्रावीण्यता के आधार पर प्रवेश प्रदान कर सकेगा"** के अनुसार प्रावीण्यता के आधार पर प्रवेश प्रदान किया जावेगा।

06/09/25

(डॉ. संजय कुमार दादु)
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नंदकुमार सिंह चौहान शा.चि.म. खण्डवा